FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा,राजस्थान

शंकरलाल पुत्र हीरालाल .... बनाम मनोज कुमार पुत्र छितरलाल

किस्म मुकदमा / धारा:– प्रार्थना पत्र | 111-128

प्रकरण संख्या 29 / 2026 जी.सी..एम.एस. नम्बर:–..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02 2026	प्रार्थना–पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 24/02/2026 को वास्ते इन्तजार तामील / तलबी रिपोर्ट पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	
24/2/2026	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणो की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणो को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणो के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए। पत्रावली मे आदेश पारित किए। पत्रावली मे आदेश पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा (मुहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा, सत्यमेव जयते)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 29/2026 तारीख दायर – 10/2/2026

1. शंकरलाल पुत्र घीसालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. दिनेश कुमार पुत्र घीसालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र छितरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. कैलाश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. गोपाल दत्तक पुत्र घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेशः– दिनांक 24/2/2026

प्रार्थनापत्र गंगा पत्नि प्रभु ने जरिये अभिभाशक **श्री मनीष धाकड़, एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 105 आराजी नंबर 435/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर** भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 105 आराजी नंबर 435/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु

आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा